राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

क्रमांक प.14 ( )/सहा./2023/ 58 दिनांक 31-01-2023

निम्मितः—

श्रीमान् शासन उप सचिव महोदय,
आ.प्र.सहा.एवं ना.सु. विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः— बाढ से क्षतिग्रस्त आधारभूत ढाचों की तात्कालिक मरम्मत/पुनरूद्धार हेतु बजट आवंटन बाबत्।

प्रसंग :—आपका पत्रांक एफ2(20)आप्रएवंसहा/बजट/लेखा/2022—23/10357 दिनांक 30.08.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि संवत् 2078 बाढ/अतिवृष्टि से तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त आधारभूत ढॉचों की मरम्मत/पुनरूद्धार(सडक मरम्मत) हेतु वर्ष 2021—22 में 3.47 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था परन्तु कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा समय पर बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण वर्ष 2021—22 में संबंधित को राशि रू 257.24 लाख का भुगतान नहीं हो पाने पर बजट राशि को व्यपगत (लैप्स) करवाने एवं विभागीय नोर्म्स अनुसार एक माह में कार्य पूर्ण नहीं करवाने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों की पालना में अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, राजसमंद की जॉच रिपोर्ट अनुसार श्री विजय सिंह मीणा तात्कालिक अधिशांषी अभियंता लोक निर्माण विभाग आमेट को सी.सी.ए. नियम — 17 के तहत चार्जशीट जारी कर दी गयी है।

आपके पत्रांक 12656 दिनांक 03.11.2022 द्वारा बिलम्ब से संपादित कार्यो का भुगतान कार्यकारी एजेन्सी द्वारा अपने बजट मद से करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, राजसमंद ने अपने पत्रांक 2011 दिनांक 09.12.2022 द्वारा निवेदन किया है कि कार्य का भुगतान उसी मद से संभव है जिस मद में स्वीकृति जारी की गई है तथा कार्यकारी एजेन्सी के पास बजट का अभाव बताते हुए सहायता मद से बजट आबंटन करने हेतु निवेदन किया गया है।

चूकि प्रासंगिक पत्र द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना कर ली गई है तथा कार्यकारी एजेन्सी के पास भी बजट उपलब्ध नहीं है। अतः बकाया दायित्वों के निस्तारण हेतु राशि रू 257.24 लाख का बजट आवंटित करवाने का श्रम करावे ताकि संबंधित को भुगतान की कार्यवाही की जा सके।

जिला कलक्टर
राजसमन्द